न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/168/2017

उनवान

1. भैरू लाल आत्मज हजारी लाल कलाल निवासी शक्करगढ तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
2. गोपाल आत्मज भैरू लाल कलाल निवासी शक्करगढ तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
3. महावीर आमज भैरू लाल कलाल निवासी शक्करगढ तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
4. राधेश्याम आत्मज भैरू लाल कलाल निवासी शक्करगढ तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. प्रभु लाल आत्मज भैरू लाल कलाल निवासी शक्करगढ तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जहाजपुर भीलवाडा

रेस्पोडण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर के
प्रकरण संख्या 372/2013 निर्णय दिनांक 10.4.2017

अधिवक्तागण :—

1. श्री रमेश चेचाणी , अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री जे सी दाधीच, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1

निर्णय

दिनांक 23.7.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अनवान का एक वाद पत्र वादी/प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 ए , 188 आर टी एक्ट का माननीय न्यायालय में पेश किया गया जो सही तथ्यों पर आधारित होने से वादी/प्रार्थी को निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी साथ ही निवेदन किया कि ग्राम शक्करगढ पटवार हल्का शक्करगढ तहसील जहाजपुर स्थित आराजी संख्या 1006 रकबा 09 बिस्वा, आराजी नम्बर 894 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, आराजी संख्या 892 रकबा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 898 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा आराजी संख्या 899/2 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी संख्या 1 के खाते स्थित है। उक्त भूमि पैतृक भूमि है। जो पूर्व राजस्व अभिलेखो में प्रार्थी के दादा हजारी पिता नाना कलाल के खाते में दर्ज थी। उक्त कृषि भूमि पैतृक होने से प्रार्थी को इन कृषि भूमि में जन्म से ही अधिकार है। किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 , अप्रार्थी संख्या 2 से लगायत 5 जो कि प्रार्थी के भाई से दुरभिसंधी कर प्रार्थी को उसके हक अधिकारों से वंचित करने के आशय से भूमि का विक्रय करने, दान करने पर आमादा है। जिसका उन्हें कोई हक व अधिकार नहीं है। वादग्रस्त आराजियता पैतृक होने से प्रार्थी का इन कृषि भूमि में 1/5 हक व हिस्सा है इस कारण 1/5 हक व हिस्से की घोषणा की जाकर प्रार्थी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रार्थी अपने 1/5 हक व हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 वादग्रस्त भूमि को अन्य व्यक्तियों को विक्रय, रहन बक्षीस करने पर आमादा है। इस कारण मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजियात को विक्रय, रहन न करें न ही प्रार्थी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल करें, न

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अन्य से करावें इस बाबत विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जावे। प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र के निस्तारण से पूर्व अधिनस्थ न्यायालय के लिए यह लाजमी थी कि मामले का निस्तारण करने के लिए प्रथम दृष्टया प्रकरण के साथ–साथ सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर गुणावगुण के आधार पर विचारण करे। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तीनों बिन्दुओं में से एक भी बिन्दु पर अपने निर्णय में कोई विवेचन नहीं किया, जबकि धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत हर मामले में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों बिन्दुओं के बारे में विचारण करना आवश्यक है। वादी/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में उक्त तीनों बिन्दु उसके पक्ष में प्रमाणित नही होर अपीलाण्ट्स के पक्ष में पूर्णतया प्रमाणित होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय ने इन पर कोई विवेचन नहीं किया । इस प्रकार सरसरी तौर पर प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में गंभीर विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात में आराजी संख्या 1006 रकबा 9 बिस्वा अपीलाण्ट संख्या 1 की रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 7.6.1989 के जरिये खरीदशुदा है तथा आराजी संख्या 894, 892, 898, एवं 899/2 उसे श्री हजारी के गोद पुत्र की हैसियत से प्राप्त हुई कृषि भूमि हे । इस प्रकार उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण कृषि भूमि पक्षकारान की पैतृक नहीं होकर अपीलाण्ट संख्या 1 की स्वअर्जित कृषि भूमि की श्रेणी में आती है तथा अपीलाण्ट संख्या 1 ने अपनी स्वअर्जित कृषि भूमि को वादी/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत किये गये वाद पत्र के पूर्व ही पंजीकृत दानपत्र के जरिये अपीलाण्ट संख्या 2, 3 व 4 को दान कर दी। ऐसी स्थिति में वर्णित कोई भी भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि नहीं होने से वादी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

6. प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थी का वादग्रस्त आराजियात में हक हिस्सा निहित होने से अधिनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो स्थगन आदेश पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

7. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थीगण का निवेदन है कि वादग्रस्त आराजियात पैतृक नहीं होकर अपीलार्थी संख्या 1 की स्वअर्जित आराजियात है। जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रार्थी का कोई हक अधिकार निहित नहीं

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

है। जबकि अपीलार्थी ने शक्करगढ पटवार हल्का शक्करगढ तहसील जहाजपुर स्थित आराजी संख्या 1006 रकबा 09 बिस्वा, आराजी नम्बर 894 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, आराजी संख्या 892 रकबा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 898 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा आराजी संख्या 899/2 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा आराजियात को पैतृक आराजियात बताते हुए स्थगन चाहा था। अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिनांक 14.6.2013 को पंजिबद्ध किया गया एवं वादग्रस्त आराजियात बाबत अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया एवं दिनांक 10.4.2017 को उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनकर अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रत्यर्थी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए वादग्रस्त ग्राम शक्करगढ पटवार हल्का शक्करगढ तहसील जहाजपुर स्थित आराजी संख्या 1006 रकबा 09 बिस्वा, आराजी नम्बर 894 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, आराजी संख्या 892 रकबा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 898 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा आराजी संख्या 899/2 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा की आराजियात बाबत मूल वाद के निस्तारण तक स्थगन आदेश पारित किया । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न खसरा भू प्रबन्ध विभाग के अनुसार अपीलार्थी संख्या 1/विपक्षी संख्या 1 हजारी के गोद जाने से ग्राम शक्करगढ की वर्तमान आराजी संख्या 894 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, आराजी संख्या 892 रकबा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 898 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा आराजी संख्या 899/2 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा अपीलार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की गई है। आराजी नम्बर 1006 रकबा 9 बिस्वा किस्म बंजड II अपीलार्थी संख्या 1/विपक्षी संख्या 1 द्वारा विक्रेता जमना लाल पिता उदा जी कलाल से 5.6.1989 को क्रय की गई है। ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया स्पष्ट होता है कि मोजा शक्करगढ स्थित आराजी संख्या 1006 रकबा 09 बिस्वा किस्म बंजड

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपीलार्थी की स्वअर्जित आराजियात है। जिसे बिना विस्तृत विवेचन ही पुश्तैनी आराजियात में सम्मिलित मानते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया है। जो विधिसम्मत नहीं है।

8. जहॉ तक ग्राम शक्करगढ की वर्तमान आराजी संख्या 894 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, आराजी संख्या 892 रकबा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 898 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा आराजी संख्या 899/2 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा का प्रश्न है उक्त आराजियात बाबत प्रथमदृष्टया प्रकट होता है कि अपीलार्थी संख्या 1 के खाते में उसके गोद पिता हजारी कलाल से प्राप्त हुई है। भैरू लाल अपीलार्थी के चार पुत्र गोपाल, महावीर, राधेश्याम, प्रभु लाल (प्रत्यर्थी संख्या 1) होना भी रिकार्ड से प्रथमदृष्टया प्रकट है जिससे प्रभू लाल का पैतृक सम्पति में हक हिस्सा होना प्रकट होने से अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण बनता है।

9. विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा फर्द अहकाम पर कोई विवेचन अंकित नहीं कर अपूर्ण आदेश पारित किया है। जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर उभयपक्षकारान की बहस का अंकन कर तीनों बिन्दुओं यथा प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति के बाबत गुणावगुण पर विवेचन कर विस्तृत निर्णय पारित करते । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि खसरा नम्बर 1006 रकबा 9 बिस्वा अपीलाण्ट संख्या 1 की स्वअर्जित सम्पति है तथा अपील में अंकित अन्य विवादित आराजियात के अतिरिक्त खसरा नम्बर 899, 900 का बिकाव पूर्व में हो चुका है। जिन्हें शामिल वाद नहीं किया गया है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1/वादी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत चाहे गये अनुतोष का भी अवलोकन किया गया । वादी द्वारा मात्र 1/5 हिस्से

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पर अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है परन्तु अपीलाधीन आदेश द्वारा वाद में चाहे गये अनुतोष से अधिक भूमि बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। जिसका समर्थन नहीं कया जा सकता है। अपीलाण्ट के हक अधिकारों का प्रतिरक्षण करते हुए भी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी किया जाना था परन्तु विस्तृत विवेचन के अभाव में अपीलाण्ट को होने वाली अपूर्णीय क्षति बाबत विवेचन नहीं किया गया है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने से पूर्व यह भी देखा जाना आवश्यक था कि अपीलाण्ट संख्या 1 भैरू लाल दत्तक पुत्र है अथवा आराजी नम्बर 894, 892, 898, व 899/2 गिफ्ट डिड से प्राप्त हुई है अथवा अपीलाण्ट भैरू लाल की पैतृक भूमि है। इस बाबत उभयपक्षकारान के कथन से प्रथमदृष्टया यह विवादित आराजियात अपीलार्थी संख्या 1 के खाते में उनके गोद पिता हजारी कलाल से प्राप्त होना जाहिर हुआ है परन्तु इस बाबत अंतिम निष्कर्षण वाद के निस्तारण के दौरान किया जाना है। अतः प्रथमदृष्टया खसरा नम्बर 894, 892, 989, 899/2 बाबत रेस्पोडेण्ट संख्या 1/वादी का प्रथमदृष्टया प्रकरण बनना पाया जाता है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु भी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पक्ष में साबित होते है।

10. ऐसे में अपील अपीलार्थीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में इस प्रकार संशोधन किया जाता है कि मौजा शक्करगढ पटवार हल्का शक्करगढ स्थित आराजी नम्बर 894 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, आराजी संख्या 892 रकबा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 898 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा आराजी संख्या 899/2 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा में से आराजियात के 1/5 वें हिस्से की हद रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जाये । अपीलार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक पाबन्द किया जाता है कि प्रत्येक आराजियात के 1/5

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

हिस्से तक की भूमि किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय, रहन बक्षीस नहीं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें ।

11. निर्णय आज दिनांक 23.7..2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

23/7/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी,
भीलवाड़ा

भू. प्रबंध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.) सत्यमेव जयते